न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/2022	2022/89	21-09-2022	14-11-2024

1. हीरालाल पुत्र श्री रामस्वरूप,
2. विशराम पुत्र श्री रामस्वरूप, जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम पाली तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. खूबराम नीरज पुत्र श्री नारायणलाल, जाति जाटव,
2. नीलम बोद्ध पत्नी श्री खूबराम नीरज, जाति जाटव, निवासीयान जाटव मौहल्ला, ग्राम पाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

–असल रेस्पो0

3. जयराम पुत्र श्री रामस्वरूप,
4. मुखराम पुत्र श्री रामस्वरूप, जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम पाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 24.08.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट्स व तर० रेस्पो०

02–श्री अशोक कुमार जैन –वकील असल रेस्पो0

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 24.08.2022 ग्राम पाली, तहसील रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर (तर०) रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण असल रेस्पाडेन्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ के यहाँ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नंबर 399 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम पाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी प्रार्थीगण की रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को अलग अलग रजिस्टर्ड बयनामा से सन् 1998 व 2000 में खरीदा था व प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वक्त खरीद से काबिज चले आ रहे हैं। विवादित आराजी पर कभी कोई विवाद नहीं रहा है इसी के चलते आराजी का शेष 3/10 हिस्सा का बयनामा दिनांक 10.02.2021 को प्रार्थीगण ने प्रार्थी संख्या 2 के नाम कराया है, जिसका इंतकाल दर्ज होकर स्वीकार हो चुका है। अप्रार्थीगण दीगर लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर अवैध प्लोटिंग का काम करते हैं। विवादित आराजी के साथ लगती हुई अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 398 स्थित है, जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण जबरन लठ्ठ के बल पर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 399 रकबा 15 ऐयर पर कब्जा करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीगण सवर्ण जाति के हैं व बाहूबली हैं, जिन्होंने प्रार्थीगण की आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया व डोल तोड़कर अपनी आराजी में मिलाकर नाजायज कब्जा कर लिया है और प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी मुतनाजा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

खसरा नंबर मौके पर मिले हुए हैं। किन्तु तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया। आराजी खसरा नंबर 399 रकबा 15 ऐयर, 404 रकबा 1.10 है0, 403 रकबा 01 ऐयर, जिनका साबिक खसरा नंबर 199/366 मिन रकबा 5 बीघा था। अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पाडेन्टान की आराजी खसरा नंबर 398 रकबा 0.76 है० के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। हाल मौके पर खसरा नंबर 398 व असल रेस्पाडेन्टान के खसरा नंबर 404 के मध्य सड़क बनी हुई है। नक्शा हाल में जहाँ पर हाल खसरा नंबर 399 को दर्शाया गया है, वह वास्तव में खसरा नंबर 398 का ही भाग है। लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने गलत प्रकार से नक्शा हाल तरमीम कर मौके खिलाफ तैयार किया है, जो कि साबिक नक्शा व रिकॉर्ड के खिलाफ है। असल रेस्पाडेन्टान का मौजूदा नक्शा अनुसार खसरा नंबर 399 रकबा 15 ऐयर पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, न कभी रहा है। गलत नक्शे की आड़ में व उसका बेजा फायदा उठाकर असल रेस्पाडेन्टान विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं व अपीलान्टान को बेजा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए अपीलान्टान ने नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाकर राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 398 को खसरा नंबर 400 से लगता हुआ तथा खसरा नंबर 404 को खसरा नबर 399 से लगता हुआ दर्ज करवाकर हेतु दुरूस्ती का दावा न्यायालय एसडीओ साहब रामगढ के यहां प्रस्तुत किया हुआ है, जो अब भी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–09–2021 की तहसीलदार साहब की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा पेश की गई है, उसमें भी विवादित आराजी पर अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पाडेन्टान का कब्जा बताया गया है तथा रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 398 रकबा 76 ऐयर व 399 के बीच लगभग 40 फीट से कोई मेड़ डोल नहीं है व दोनों खसरा नंबर एक–दूसरे से लगते हुए हैं। मौके पर खसरा नंबर 398 व 399 दोनों खाली पड़त हैं व खसरा नंबर 398 में 01 ऐयर में दो पक्के कमरेधतिबारे बने हुए हैं। किन्तु तहत न्यायालय ने मौका पर्चा रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कतई गौर नहीं किया व मनमाने व गलत तरीके पर मौका कब्जा व रिकॉर्ड के खिलाफ तथा साक्ष्य के विपरीत आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्त होने योग्य है। तरतीबी रेस्पाडेन्टान आवश्यक कार्य से बाहर चले जाने के कारण अपील वक्त दायरी अपील उपस्थित नहीं हो सके हैं, जिनका विवादित आराजी पर कब्जा है और उनका भी हित निहित है, इसलिए उन्हें अपील हाजा में तरतीबी रेस्पाडेंट बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ (अलवर) का आलोच्य निर्णय दिनांक 24–08–2022 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आ0ख0नं0 399 रकबा 0.15 हैक्ट० वाके ग्राम पाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज० में स्थित है। विवादित आराजी मिन रेस्पो0 की जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा के खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जो रेस्पो0 ने जर्ये अलग–अलग रजिस्टर्ड बयनामा सन् 1998 व सन् 2000 में खरीद किया था और रेस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वक्त खरीद से ही रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर रेस्पो0 के नाम विवादित आराजी का इन्तकाल दर्ज व स्वीकार हो चुका है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल आ चुका है। विवादित आराजी बाबत कभी भी किसी प्रकार का विवाद नही रहा है। अपी0 जो कि भूमाफिया व खूखार प्रवृति के व्यक्ति है जो जमीनों पर नाजायज कब्जा व अवैध प्लाटिंग वगैराह का कार्य करते है तथा विवादित आराजी के साथ लगती हुई अपी0 की आराजी खसरा नम्बर 398 स्थित है जिसकी आड में अपी0 जबरन लट्ठ के बल पर रेस्पो0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 0.15 हैक्ट० पर अपना कब्जा जमाना चाहते है। अपी0 स्वर्ण जाति से संबंध रखते है तथा बाहुबली है जो रेस्पो0 की आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर एक करना चाहते है और उसमें अवैध प्लाटिंग करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हक व अधिकार नही है। तथा रेस्पो0 जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अपी0 को मना करने पर अपी0 गाली गलौच करते है व मारने पीटने पर उतारू रहते हैं। तहसीलदार का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपी0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2022 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। अपी0 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया हो। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पो0 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। रेस्पो0 अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण राज0 काश्तकारी अधि0 183 बी के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपी0 खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.08.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)